Government of India(Bharat Sarkar)
Ministry of Railways(Rail Mantralaya)
(Railway Board)

*****

No. 99/TG.I/20/P.

New Delhi, Dated: 22.05.2000.

General Managers,
All Zonal Railways.

(Commercial Circular No.23 of 2000)

Sub: Entitlement of the Speaker of Lok Sabha and Union Minister for travel in various classes by the trains.

The entitlement of the Union Ministers and Speaker of Lok Sabha to travel by Railway has been indicated in the Annexure 'F' of IRCA Coaching Tariff No. 25 Part I (Vol I) of 15th January 1998 wherein their entitlement to travel by train has been shown as "one Standard gauge Saloon". However, the number of berths to be occupied by the Union Ministers/Speaker of Lok Sabha in 1st AC/First Class in absence of a Saloon has not been indicated. South-central Railway while referring to above mentioned provision has sought a clarification regarding entitlement of the Hon'ble Union Ministers/Speaker to travel in train in discharge of their official duties in absence of their entitlement as indicated in IRCA Coaching Tariff No. 25 of 1998.

The position has been ascertained from the Ministry of Home Affairs and Lok Sabha Secretariat and is given as under:-

(i) The entitlement of the Union Ministers, to travel by railway on duty in the absence of a Saloon/Inspection carriage is one First AC Coupe (2 berths in 1st AC) or 4 berths in AC 2-tier or 2/4 berths in First Class.

(ii) Lok Sabha Secretariat has confirmed that the Hon'ble Speaker, Lok Sabha is entitled to get reserved such class and number of berths as are admissible to a Cabinet Minister, while travelling in trains in discharge of his official duties.

Note:

"Minister" means a member of the council of Ministers by whatever name called and except in relation to the rules in sub-section(1) of section 11 of Salaries and Allowances of Ministers Act, 1952(58 of 1952), includes a Deputy Minister.

....2/-

(This disposes S.C. Railway's Fax message No. C 518/R/P/7/Vol. V dated 16.06.98)

Please acknowledge receipt of this letter.

(O.P. Chawla)
Joint Director, Traffic Comml.(G),
Railway Board.

Copy to:-

1. CCMs, CCM(PS)s & CCM(PM)s, all Zonal Railways.
2. OSDs/East Coast Railway, Bhubaneswar, East Central Railway, Hajipur, North Central Railway, Allahabad, North Western Railway, Jaipur, South Western Railway, Bangalore, West Central Railway, Jabalpur.
3. ED(C&IS), EDV(T), V(SS), C&IS, TG.V & TC-II Railway Board.
4. Professor/Training & Professor/Comml., Principal, Railway Staff College, Vadodara.
5. GM(PRS)/CRIS, Chankayapuri, New Delhi.
6. General Secretary, IRCA, New Delhi.

.....

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं.99/टीजी I/20/पी

नई दिल्ली, 28.6.2000.

महाप्रबन्धक,
सभी क्षेत्रीय रेलें.

2000 का वाणिज्यिक परिपत्र सं.23

विषय : लोकसभा अध्यक्ष एवं केन्द्रीय मंत्रियों को रेलगाड़ियों की विभिन्न श्रेणियों में यात्रा करने की पात्रता.

15 जनवरी, 1998 के भा.रे.स. कोचिंग दरसूची सं.25 के भाग-I(वाल्यूम-I) के अनुबंध "एफ" में लोकसभाध्यक्ष एवं केन्द्रीय मंत्रियों को रेल द्वारा यात्रा करने के लिए "एक मानक आमान सैलून" श्रेणी की पात्रता प्रदान की गई है । परन्तु सैलून उपलब्ध न होने की स्थिति में, केन्द्रीय मंत्रियों और लोकसभा अध्यक्ष को प्रथम श्रेणी वातानुकूल डिब्बे एवं प्रथम श्रेणी डिब्बे में उपलब्ध कराई जानेवाली शायिकाओं की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है । दक्षिण-मध्य रेलवे ने उपर्युक्त उपबंध का उल्लेख करते हुए यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया है कि भा.रे.स. के 1998 की कोचिंग दरसूची सं.25 में दर्शाए अनुसार पात्रता न होने पर केन्द्रीय मंत्रियों और लोकसभा अध्यक्ष को सरकारी ड्यूटी के निर्वहन हेतु रेल में यात्रा की श्रेणी की पात्रता क्या होगी ।

गृह मंत्रालय एवं लोकसभा सचिवालय से उपरोक्त स्थिति का पता लगाया गया है जो निम्नानुसार है :-

(I) सैलून/निरीक्षण कैरेज की अनुपलब्धता की स्थिति में केन्द्रीय मंत्रियों को उनकी सरकारी ड्यूटी के निर्वहन के दौरान रेलयात्रा की पात्रता एक प्रथम-श्रेणी-वातानुकूल-कूपे(प्रथम वातानुकूल यान में 2 बर्थों) अथवा द्वितीय श्रेणी वातानुकूल यान में 4 बर्थों अथवा प्रथम श्रेणी में 2/4 बर्थों की है ।

(II) लोकसभा सचिवालय ने इस बात की पुष्टि की है कि माननीय लोकसभा अध्यक्ष अपनी सरकारी ड्यूटी के निर्वाह के संबंध में रेल द्वारा यात्रा करने के लिए उसी श्रेणी और बर्थों की संख्या के पात्र हैं जो केन्द्रीय मंत्रियों को उपलब्ध हैं ।

---2

नोट : "मंत्री" शब्द से तात्पर्य मंत्रियों की परिषद के किसी भी सदस्य से है भले ही उसे किसी भी नाम से जाना जाए । लेकिन इसका संबंध मंत्री अधिनियम 1952(1952 का 58) के वेतन एवं भत्तों से संबंधित खण्ड 11 के उपखण्ड(I) के नियमों से नहीं होगा । इसमे उपमंत्री भी शामिल है ।

मध्य

(इससे दक्षिण मध्य रेलवे के दिनांक 16.6.98 के फैक्स संदेश सं.सी 518/आर/पी/7/वाल्यूम V का निपटारा हो जाता है ।)

कृपया इस पत्र की पावती दें ।

(ओ.पी. चावला)
संयु.निदे./याता.वाणिज्य(सामा.)
रेलवे बोर्ड.